न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना

कैम्प:- ग्राम पंचायत खेजड़ियाली

दिनांक 26.04.2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रेखाराम पुत्र काना हस्तु बेवा काना जाति जाट निवासी खेजड़ियाली		पीरा पुत्र केहरा वगैरा जाट निवासी-खेजड़ियाली

मुकदमा संख्या 71/2014

-: आदेश :-

प्रार्थीगण ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 व 128 में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मौजा खेजड़ियाली के खेत खसरा संख्या 461 रकबा 1.50 है, खसरा संख्या 462 रकबा 5.23 हैक्टर खसरा नम्बर 1906/469 रकबा 1.91 कुल रकबा 7.10 हेक्टयर एंव खसरा संख्या 468 रहवासीय ढाणी के आये हुए है तथा उपरोक्त खेतो पर प्रार्थीगण का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसकी पैमाईश पटवारी नायब तहसीलदार ने कर पड़ोसीयान् को सीमाओ से अवगत करवा दिया गया था उसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण बार-बार माढ तोड़कर कब्जा कर रहे है अतः उपरोक्त खसरान् की पैमाईश कर पत्थरगढी करवाने का आदेश फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया मौजा खेजड़ियाली के खसरा संख्या 461 रकबा 1.45 है खसरा संख्या 462 रकबा 5.73 है. खसरा संख्या ~~469~~ 1906/469 रकबा 0.64 हेक्टर प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरान् की पैमाईश का पुर्व में दिनांक 08.11.2009 को आदेश करवा रखा है। इससे प्रतित होता है की पुर्व में प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरो का सीमाकंन होने के बावजूद माढ ~~को~~ के विवाद का निस्तारण नही हुआ है। अतः स्थायी माढ कायमी हेतु पत्थरगढी किया जाना उचित है।

मौजा खेजड़ियाली के खेत खसरा 461 रकबा 1.50 है. खसरा संख्या 462 रकबा 5.23 है. खसरा संख्या 1906/469 रकबा 1.91 है कुल रकबा 7.10 हेक्टर की स्थायी माढ कायमी हेतु तहसीलदार, चितलवाना को पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है [illegible] चितलवाना पत्थरगढी की पालना कर पालना रिपोर्ट [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:51:39 IST
Reason: SelfAttested